

B. Com. (Hons)
P2 - A/Cs (H)
Paper - III BRF

श्री 0 धर्मजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.I.T. महाविद्यालय
राजमहल (मथुरा)

UNIT - I

TOPIC - Difference between
Pledge and Bailment

गिरवी तथा निक्षेप में अंतर.

Sec. 172 के अनुसार, "जब किसी माल का निक्षेप किसी गृहण अथवा वचन के पास के लिए प्रविष्टि के रूप में किया जाता है, तो उसे गिरवी कहा जाता है।" गिरवी का अर्थवत्त एक विशेष प्रकार का निक्षेप अनुबंध होता है।

Sec. 148 के अनुसार, "जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए इस संविदा पर माल सौंप देता है कि किसी उद्देश्य के पूरा होने पर माल को सौंपने वाले को माल वापस लौटा दिया जाएगा या उसके निर्देशानुसार माल को व्यवस्था कर दी जाएगी तो उसे निक्षेप कहा जाता है।"

उपरोक्त के अनुसार की गई परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि निक्षेप एवं गिरवी में मुख्य अंतर कारणों से अंतर पाया जाता है। जो निम्न गिरवी है -

आधार

1. अर्थ

गिरवी

किसी गृहण की पुस्तक या वचन के पास की माल के उद्देश्य से माल को सौंपने गिरवी कहा जाता है।

निक्षेप

जबकि निक्षेप की विधि में ऐसा कोई अभोजन नहीं होता है।

आधार

शिरकी

निष्पेक्ष

2. उद्देश्य

इसका उद्देश्य गृहण है
मुदायान का भी वजन
है निवपादन का विकास
दिलाना होना है.

अर्थात् इसका उद्देश्य
दोनों पहलुओं का
किली लु है उद्देश्य
का पूरा करना होना है.

3. उपभोग का अधिकार.

इसके अंतर्गत अमान्य
है लु में शकनी गृह वस्तुओं
के उपभोग का अधिकार
नहीं होता है.

अर्थात् यह अंतर्गत
प्राम: वस्तुओं का
उपभोग किये जाने के
लिए ही होता है.

4. अमान्य के लु में भाग

इसके अंतर्गत गृहण है
पुनर्नि अथवा वजन के
निवपादन के लिए अमान्य
के लु में भाग को शक
जाता है.

अर्थात् इसमें अमान्य
के लु में कोई भी
भाग नहीं शक जाता
है.

5. विद्युत अधिकार.

इस विषय में, निम्न
दिली पर कर्ज का मुदायान
न करने पर उसे उचित
खपना देकर शिरकी शक
शक गले भाग को बेचने
का अधिकारी है आना है.

अर्थात् इसमें निष्पेक्ष-
गृहण को विद्युत
भाग को बेचने का
कोई अधिकार
नहीं होता है.

6. परिष्कार

इसमें संविदा के लिए
परिष्कार का होना आवश्यक
होना है.

अर्थात् इसमें परिष्कार
होनी शक है और
नहीं आ. शक
नि: शक निष्पेक्ष में परिष्कार
नहीं होता है.

(3)

प्रमाण

चिह्न

निरूपण

1. मातृ की लुप्टगी

इस अवस्था में मातृ की लुप्टगी बाद में भी जी सकती है.

अर्थात् इसमें मातृ का निक्षेप कुछेक दिनों निक्षेप का अडकल नहीं हो सकता है.

2. अडकल का समाप्त

इस अडकल का समाप्त होने पर पुनः जीवित रहने का प्रयत्न हो जाने के बाद ही जाना है.

अर्थात् इसमें निश्चित अर्थात् या निश्चित इच्छा का प्रयत्न होने के बाद ही मातृ के साथ ही अडकल का समाप्त हो जाता है.

08.05.2020

